निदेशालय

।। गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।।

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकः गृरमु/स्था/ई–1 ( ) 2021/14366-403 दिनांकः 8-6-21

:– स्थाई आदेश संख्या –65/2021 –:

1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः एफ. 18 (1) गृह–6/94 दिनांकः 15.01.1996 एवम् राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–2021 की अधिसूचना क्रमांकः एफ. 2 (5) डी.ओ.पी./ए–II/2021 दिनांकः 19.04.2021.के बिन्दु संख्या–35 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित स्थाई आदेश क्रमांकः नासुगृरमु/संस्था/27973–28037 दिनांकः 17.08.1995 के अतिक्रमण में मुख्य आरक्षी से प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा के लिएं संलग्न पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

2. विभाग में पदोन्नति हेतु समय–समय पर आयोजित किये जाने वाली योग्यात्मक परीक्षा हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा पदोन्नति समिति का गठन किया जावेगा, जो निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार योग्यात्मक परीक्षा आयोजित करायेगें।

3. पदोन्नति हेतु विभिन्न चरणों में पात्रता हेतु प्राप्त अंको का विवरण निम्नानुसार है :–

(I) पदोन्नति हेतु आयोजित की जानी वाली लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(II) लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही परेड़/आऊटडोर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगें।

(III) परेड़ आऊटडोर में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(IV) लिखित एवम् परेड़ आऊटडोर में समुच्य (कुल) 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए ही पात्र होगा।

(V) लिखित, परेड आऊटडोर एवम् साक्षात्कार में समग्र रूप से कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही पदोन्नति हेतु चयन सूची में सम्मिलित किया जावेगा।

4. समस्त सफल अभ्यर्थियों का नियमानुसार वर्गवार वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जावेगा।

संलग्न :– पाठ्यक्रम

8/6/21

(यू. आर. साहू),
महानिदेशक एवम् महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

:: प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु –:

1. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
3. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

महानिदेशक एवम् महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

D:\All Data IP 113\Hari\ESTT\CIRCULAR\PRESENT IN TIME.doc

मुख्य आरक्षी से प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम

(अ) कुल मूल्यॉंकन — 300 अंक

1.	लिखित परीक्षा	90 अंक
2	परेड/आउटडोर	140 अंक
3	रिकॉर्ड एवं साक्षात्कार	70 अंक

(ब) लिखित परीक्षाः — 90 अंक — समयः 3 घण्टे

1. राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारायें 29, 30, 43,44, 47, 48, 49, 50 एवं 60
2. दण्ड प्रकिया संहिता के तहत बिना वारन्ट के गिरफ्तारी एवं तलाशी
3. राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम 1963 एवं इसके तहत बनाए गये नियम
4. गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं फायर सर्विस का संगठन एवं उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं तथा गृह रक्षा की नागरिक सुरक्षा सेवाओं में भूमिका
5. बोर्डर होमगार्ड के कर्तव्य, दायित्व एवं संगठनात्मक ढांचा
6. स्वयं सेवकों के नामांकन एवं नवीनीकरण से सम्बन्धित नियम, परिपत्र एवं रिकार्ड
7. इकाई कार्यालयों में रिकॉर्ड/रजिस्टरों का संधारण
8. स्वयं सेवकों के रिकॉर्ड/रजिस्टरों का संधारण एवं रख रखाव
9. होमगार्ड विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी (वेलफेयर) योजनायें
10. राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के मुख्य प्रावधान
11. भारतीय संविधान और मानवाधिकार

I	मूल अधिकार एंच कर्तव्य
II	मानवाधिकार की अवधारणा एवं इसका महत्व
III	महिला एवं बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवैधानिक प्रावधान

12. समसामयिकी/सामान्य ज्ञान (विभाग एवं राज्य से सम्बन्धित)
13. गृह रक्षा का जनता से सम्बन्ध
14. आपदा प्रबन्धन (आपदा परिभाषा एवम् प्रकार, प्रबन्धन की परिभाषा एवम् चरण, NDMA, NDRF, SDMA, SDRF, STATE DM PLAN एवं आपदा प्रबन्धन एक्ट 2005 के बारे मे सामान्य जानकारी)
15. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
16. राजस्थान निजी सुरक्षा अभिकरण(विनियमन) अधिनियम–2005
17. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का नियम 1 से 18, 24 से 29

4/6/21

18. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR)

(I) स्टॉक रजिस्टर (भाग–(I) का परिशिष्ठ–4)
(II) भौतिक सत्यापन (भाग–(I) के नियम 12 से 15)
(III) नाकारा सामान एवं उसका निस्तारण (भाग–II के नियम 16 से 22)
(IV) बिल– (भाग–प्रथम नियम 75,76 एवं 79)
(V) वाउचर– (भाग प्रथम नियम 117 से 121)
(VI) रोकडबही (कैशबुक)– (भाग–प्रथम नियम 48 से 51)
(VII) ऑडिट– महालेखाकार, आंतरिक जांच दल एवं निरीक्षण विभाग के अंकेक्षण के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी

(स) परेड/आउटडोर टेस्ट : 140 अंक

1. स्क्वाड ड्रिल (व्यक्तिगत प्रदर्शन एवं प्रशिक्षक क्षमता) 15 अंक
2. राईफल अभ्यास (व्यक्तिगत प्रदर्शन एवं प्रशिक्षक क्षमता) 15 अंक
3. हथियारों की जानकारी एवं हेण्डलिंग 25 अंक
4. फिल्ड काफ्ट इनक्लूडिंग सेक्शन फॉरमेशन एण्ड फायर ऑर्डर, ईओडी, स्ट्रीट लाईनिंग 10 अंक
5. बलवा नियंत्रण परेड़ 10 अंक
6. लाठी ड्रिल एवं बैटन ड्रिल 10 अंक
7. गार्ड डयूटी मय गार्ड ऑफ ऑनर 15 अंक
8. पी.टी.(व्यक्तिगत प्रदर्शन एवं प्रशिक्षक क्षमता) 15 अंक
9. 5 किमी दौड 20 अंक

आयु सीमा	समय मिनिट्स में		
	उत्कृष्ट	अच्छा	संतोषप्रद
30 वर्ष से कम	26	27.5	29
30–40 वर्ष	28	29.5	31
40 वर्ष से अधिक	31	32.5	34
उत्कृष्ट– 20 अंक, अच्छा– 15 अंक, संतोषप्रद– 10 अंक			

10. टर्न आउट 5 अंक

(द) रिकॉर्ड एवं साक्षात्कार : 70 अंक

1. शिक्षा 05 अंक

क.सं.	कक्षा	अधिकतम अंक
I	मैट्रीक	1
II	हायर सैकेण्ड्री	2
III	10+2	3
V	स्नातक	4
VI	स्नात्कोतर / डिप्लोमा	5

2. प्रशिक्षण 10 अंक

क.सं.	प्रशिक्षण	अंक
I	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	1 अंक (प्रत्येक प्रशिक्षण के लिये)
II .	राज्य के बाहर प्रशिक्षण	2 अंक (प्रत्येक प्रशिक्षण के लिये)

नोट :– मुख्य आरक्षी पदावधि के दौरान किये गये प्रशिक्षण के अंको की गणना ही की जावेगी। आरक्षी से मुख्य आरक्षी की योग्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एवं इस परीक्षा के आयोजन तक प्राप्त प्रशिक्षण के अंको को गणना में शामिल किया जावेगा।

3. पुरस्कार और सजाऐं 20 अंक

(I) पुरस्कार : 10

अ	राष्ट्रपति शौर्य (गैलेन्ट्री) और विशिष्ट सेवा पदक	07
ब	गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा शौर्य (गैलेन्ट्री) अथवा सराहनीय सेवा पदक	06
स	राज्य स्तरीय एवं महानिदेशक गृह रक्षा डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र	03
द	नकद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति प्रमाण पत्र / प्रशंसा पत्र समादेष्टां एवं उपर के अधिकारी द्वारा	02
य	प्रशस्ति प्रमाण पत्र / प्रशंसा पत्र समादेष्टा एवं उपर के अधिकारी द्वारा	01

4/6/14.

(II) सजायें : (कोई सजा नहीं होने पर) **10 अंक**

विभागीय कार्यवाही में विभिन्न प्रकार के दण्ड के लिये अंकों की कटौती निम्न प्रकार होगी (प्रत्येक दण्डादेश हेतु) :–

1.	परिनिन्दा	01
2.	ग्रेड वेतन वृद्धि रोक (भविष्य प्रभाव के बिना)	02
3.	ग्रेड वेतन वृद्धि रोक (भविष्य प्रभाव के साथ)	03
4.	अन्य वृहद सजाऐं	05

नोट :– पुरस्कार एवं दण्ड के लिये आवंटित 20 अंकों में से 10 पुरस्कार के लिये एवं 10 सजाओं के लिये निर्धारित किये गये हैं। पुरस्कार की अच्छी प्रविष्टियों के लिये 10 अंक अधिकतम दिये जायेंगे। पुरस्कार के अंकों की गणना 0 से 10 अंको के आधार पर होगी, सजाओं के अंको की गणना 10 से 0 अंको के आधार पर होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के रिकार्ड पर कोई सजा नहीं है तो वह 10 अंक प्राप्त करेगा। प्रत्येक सजा की प्रविष्टि पर उसके कुल 10 अंको में से कटौती होगी। रिवार्ड के कुल 10 अंको में से प्राप्त किये गये अंक तथा सजाओं के कुल 10 अंको में से शेष रहे अंको को जोड उस अभ्यर्थी के इस मद में कुल अंक प्राप्त होंगे। सजाओं के अन्तर्गत अधिकतम 10 अंक तथा न्यूनतम 0 अंक मिलेंगे। मुख्य आरक्षी पदावधि के दौरान मिले हुये पुरस्कार व सजा के अंको की ही गणना की जावेगी।

4. वार्षिक कार्य मूल्यांकन (एपीएआर रिपोर्ट) **15 अंक**
(पिछले पांच वर्षों की)

I	उत्कृष्ट	05
II	बहुत अच्छा	04
III	अच्छा	03
IV	संतोषजनक	02
V	असंतोषजनक	शून्य

नोट :– यदि पिछले पांच वर्षों में किसी वर्ष की एपीएआर उपलब्ध नहीं है तो उपरोक्त पांच वर्षों के ठीक पूर्व वर्ष की एपीएआर को शामिल किया जाए।

5. साक्षात्कार **20 अंक**

I व्यक्तित्व
II एप्टीट्यूड (अभिरूचि)
III नेतृत्व का गुण
IV सामान्य ज्ञान
V सम्प्रेक्षण क्षमता

4/6/24

(यू. आर. साहू)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर